

प्रशासनिक कार्यालय जनपद न्यायाधीश, सम्मल, स्थित चन्दौसी।

प्रशा0 आदेश संख्या : 152 /2020,

दिनांक-20.07.2020

**आदेश**


बाह्य न्यायालय, सम्मल के पीठासीन अधिकारी द्वारा ईमेल के माध्यम से जिला बार एसोसिएशन, सम्मल के सचिव के पत्र की प्रति प्रेषित की गयी है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि जिला बार एसोसिएशन, सम्मल के सम्मानित सदस्य श्री अंकुर गुलाटी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आयी है, सुझाव दिया गया है कि न्यायालय परिसर को दो दिन सैनेटाईजेशन कराया जाना आवश्यक है।

उपरोक्त के संबंध में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जिलाधिकारी, सम्मल से आख्या आहूत की गयी। दिनांक-19.07.2020 को रात्रि में 10:27 बजे ईमेल के माध्यम से जिलाधिकारी, सम्मल की ओर से अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), सम्मल (बहजोई) द्वारा यह रिपोर्ट प्रेषित की गयी कि श्री अंकुर गुलाटी, आयु 36 वर्ष, निवासी दुर्गा कॉलोनी, सम्मल का दिनांक-16.07.2020 को होली सुफाह पब्लिक स्कूल, सम्मल क्वारेन्टाईन सेन्टर से कोविड-19 की जांच हेतु सम्मल लिया गया था, जिसका परिणाम दिनांक-19.07.2020 को पॉजिटिव पाया गया है, उक्त व्यक्ति आउटलाइन न्यायालय, सम्मल में एडवोकेट है। आख्या में यह सुझाव दिया गया है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से आउटलाइन न्यायालय, सम्मल को 24 घण्टे स्थगित कर 12-12 घण्टे के अन्तराल पर दो बार सैनेटाईजेशन कराया जाना उचित होगा। उक्त पत्र के साथ जिलाधिकारी, सम्मल को सम्बोधित मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्मल के उपरोक्त आशय के पत्र की प्रति भी संलग्न की गयी है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-1117/LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated 03-06-2020 के अनुपालन में आज दिनांक-20.07.2020 को (केवल एक कार्यदिवस हेतु) बाह्य न्यायालय, सम्मल सेनेटाईजेशन कराने व सुरक्षा की दृष्टि से बन्द रहेगा।

जिलाधिकारी, सम्मल एवं मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्मल को बाह्य न्यायालय सम्मल परिसर की साफ-सफाई व सेनेटाईजेशन हेतु निर्देशित किया जाता है।

समस्त संबंधित सूचित हों तथा आदेश की प्रति जनपद न्यायालय, सम्मल स्थित चन्दौसी की वेबसाइट पर भी अपलोड की जाये।




(अश्विनी कुमार त्रिपाठी)

जनपद न्यायाधीश,

सम्मल स्थित चंदौसी।

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. पीठासीन अधिकारी, बाह्य न्यायालय सम्मल।
2. जिलाधिकारी, सम्मल,
3. पुलिस अधीक्षक, सम्मल,
4. मुख्य चिकित्साधिकारी, सम्मल,
5. अध्यक्ष/सचिव, बार एसोसिएशन, बाह्य न्यायालय सम्मल,
6. अधीक्षक, जिला कारागार, मुरादाबाद।
7. संयुक्त निदेशक, अभियोजन, सम्मल।



जनपद न्यायाधीश,

सम्मल स्थित चंदौसी।